



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

रायपुर-थानों रोड, निकट-महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, रायपुर
देहरादून-248008

वेबसाइट—www.sssc.uk.gov.in

E-mail: chayanayog@gmail.com

फोन नं० 0135-2669658

फैक्स नं० 0135-2672902

विज्ञापन संख्या: 40/उ०अ०से०च०आ०/2021

दिनांक: 10 दिसम्बर, 2021

चयन हेतु विज्ञापन

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह 'ग' के अन्तर्गत जल विद्युत निगम (UJVN Limited) के अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (जानपद) के 25 रिक्त पदों, पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन उत्तराखण्ड (PTCUL) के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (जानपद) के 05 रिक्त पदों, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता के 10 रिक्त पदों, जल विद्युत निगम (UJVN Limited) के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (विद्युत एवं यांत्रिकी) के 25 रिक्त पदों तथा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अन्तर्गत अवर अभियन्ता के 11 रिक्त पदों अर्थात् कुल 76 रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन।

नोट: रिक्तियों की संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	10.12.2021
ऑनलाइन आवेदन की प्रारम्भ तिथि	15.12.2021
ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि	28.01.2022
परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि	30.01.2022
लिखित परीक्षा का अनुमानित समय	जून 2022

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह 'ग' के उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVN) के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (जानपद) के 25 रिक्त पदों, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन (PTCUL) के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (जानपद) के 05 रिक्त पदों, उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता के 10 रिक्त पदों, जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVN) के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (विद्युत एवं यांत्रिकी) के 25 रिक्त पदों तथा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अन्तर्गत अवर अभियन्ता के 11 रिक्त पदों अर्थात् कुल 76 रिक्त पदों हेतु इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 28.01.2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आयोग द्वारा OTR (One Time Registration) को अनिवार्य कर दिया गया है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा OTR प्रोफाइल नहीं भरे गये हैं, उन्हें आवेदन पत्र भरने के पूर्व OTR भरना अनिवार्य है। OTR में भरी गई जानकारी या डेटा आवेदन पत्र का भाग बनेगा, अतः आवेदन-पत्र भरने के पूर्व OTR को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र भरने के पूर्व OTR की जानकारी को OTR के Edit विकल्प में जाकर संशोधित कर लें। हर प्रकार से त्रुटिरहित OTR होने पर ही आवेदन-पत्र भरना प्रारम्भ करें। त्रुटिपूर्ण OTR तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन-पत्र के कारण अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।

OTR भरने में सहायता के लिए Toll free no. 9520991172, whatsapp No. 9520991174 पर अथवा आयोग की e-mail Id: chayanavog@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की Offline अथवा Online mode में परीक्षा आयोजित करायी जा सकती है। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उपरोक्त समय अनुमानित है एवं परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दिये गये मोबाइल नम्बर पर SMS तथा ई-मेल द्वारा भी उपलब्ध करायी जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे। अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनायें ई-मेल या SMS से ही मिलेंगी। इसलिए अपना स्वयं का फोन नम्बर व ई-मेल ही आवेदन पत्र में भरें।

* अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति के अन्त में दिए गए निर्देशों को भलीभाँति अवश्य पढ़ लें।

1. पदनाम—

अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (जानपद)

पदकोड— 085/524/40/2021

कुल पद—25

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति:—

क्र. सं.	पद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
				WO	DFF	Ex.Ser.	ORPHAN	PH	OTHERS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (जानपद) (यूजेवीएन लिमिटेड)	अ0जा0	04	01	—	—	—	—	03
		अ0ज0जा0	01	—	—	—	—	—	01
		अ0पि0व0	07	02	—	—	—	—	05
		आ0क0व0	02	—	—	—	—	—	02
		सामान्य	11	03	—	—	—	—	08
		योग	25	06	—	—	—	—	19

(ii) वेतनमान:— रू0 44,900—रू0 1,42,400 (लेवल-07)

(iii) आयु सीमा:— 18 वर्ष से 42 वर्ष।

नोट:— 1— अवर अभियन्ता(प्रशिक्षु) (जानपद) के पदों हेतु विभागीय (यूजेवीएन लिमिटेड की नियमित सेवा में कार्यरत) कार्मिकों हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है।

2— अग्रैंटिस प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में प्रशिक्षण अवधि के बराबर छूट देय है।

(iv) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित/स्थायी।

(v) शैक्षिक अर्हता:—

(a) अनिवार्य अर्हता:—

भारत/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक/संस्थान से अभियांत्रिकी की सम्बन्धित शाखा में (जानपद) में तीन वर्षीय डिप्लोमा, सामान्य/अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 55 प्रतिशत अंकों के साथ एवं उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त अर्ह परीक्षा में केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है। विभागीय (उजविनी लिमिटेड में कार्यरत) सामान्य एवं अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को अर्ह परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।

अन्य कोई अभियांत्रिकी शाखा एवं उच्च शैक्षिक योग्यता अनुमन्य नहीं होगी।

(vi) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:—

चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की 02 घण्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

2. पदनाम—

अवर अभियन्ता (जानपद) (प्रशिक्षु)

पदकोड— 085/504/40/2021

कुल पद—05

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :—

क्र. सं.	पद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
				WO	DFP	Ex.Ser.	ORPHAN	PH	OTHERS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अवर अभियन्ता (जानपद) (प्रशिक्षु) (पावर ट्रांसमिशन विभाग)	अ0जा0	01	—	—	—	—	—	01
		अ0ज0जा0	01	—	—	—	—	—	01
		अ0पि0व0	03	01	—	—	—	—	02
		आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—
		सामान्य	—	—	—	—	—	—	—
		योग	05	01	—	—	—	—	04

(ii) वेतनमान:— रू0 44,900—रू0 1,42,400 (लेवल-07)

(iii) आयु सीमा:— 18 वर्ष से 42 वर्ष।

नोट:— अप्रेंटिस प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में प्रशिक्षण अवधि के बराबर छूट देय है।

(iv) पद का स्वरूप:— अराजपत्रित/स्थायी।

(v) शैक्षिक अर्हता:—

(a) अनिवार्य अर्हता:—

हिन्दी देवनागरी लिपि के वृहद् ज्ञान के साथ

1. सामान्य/अ0पि0वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा ए0आई0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक/संस्थान से सिविल अभियंत्रिकी में 55 प्रतिशत अंकों के साथ तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
2. उत्तराखण्ड राज्य के अनु0जाति/अनु0जनजाति अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त अभियांत्रिकी शाखा में तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
3. विभागीय (पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में कार्यरत) अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त अभियांत्रिकी शाखा में 50 प्रतिशत अंकों के साथ तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(vi) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:-

चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की 02 घण्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

3. पदनाम-

कनिष्ठ अभियन्ता

पदकोड- 082/798/40/2021

कुल पद-10

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :-

क्र. सं.	पद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
				WO	DFF	Ex.Ser.	ORPHAN	PH	OTHERS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कनिष्ठ अभियन्ता (अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण)	अ0जा0	02	01	—	—	—	—	01
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—
		अ0पि0व0	02	—	—	—	—	—	02
		आ0क0व0	02	—	—	—	—	—	02
		सामान्य	04	03	—	—	—	—	01
		योग	10	04	—	—	—	—	06

(ii) वेतनमान:- रू0 35,400-रू0 1,12,400 (लेवल-06)

(iii) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष।

(iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हता:-

अनिवार्य अर्हता:-

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल, इलैक्ट्रीकल अथवा मैकेनिकल में तीन वर्षीय डिप्लोमा एवं दो वर्ष का अनुभव।

(vi) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:-

चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की 02 घन्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

4. पदनाम-

अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (विद्युत)

पदकोड- 088/524/40/2021

कुल पद-15

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :-

क्र. सं.	पद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
				WO	DFP	Ex.Ser.	ORPHAN	PH	OTHERS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (विद्युत) (जल विद्युत निगम)	अ0जा0	05	01	—	—	—	—	04
		अ0ज0जा0	01	—	—	—	—	—	01
		अ0पि0व0	01	—	—	—	—	—	01
		आ0क0व0	01	—	—	—	—	—	01
		सामान्य	07	02	—	—	—	—	05
		योग	15	03	—	—	—	—	12

(ii) वेतनमान:- रू0 44,900—रू0 1,42,400 (लेवल-07)

(iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष।

नोट:- 1- अवर अभियन्ता(प्रशिक्षु) (विद्युत) के पदों हेतु विभागीय (यूजेवीएन लिमिटेड की नियमित सेवा में कार्यरत) कार्मिकों हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है।

2- अप्रेंटिस प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में प्रशिक्षण अवधि के बराबर छूट देय है।

(iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित/स्थायी।

(v) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

भारत/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पोलिटेक्निक/संस्थान से अभियांत्रिकी की सम्बन्धित शाखा में इलैक्ट्रिकल/मैकेनिकल में तीन वर्षीय डिप्लोमा, सामान्य/अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 55 प्रतिशत अंकों के साथ एवं उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त अर्ह परीक्षा में केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है। विभागीय (उजविनी लिमिटेड में कार्यरत) सामान्य एवं अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को अर्ह परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।

अन्य कोई अभियांत्रिकी शाखा एवं उच्च शैक्षिक योग्यता अनुमन्य नहीं होगी।

(vi) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:-

चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की 02 घन्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

5. पदनाम-

अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (यांत्रिक)

पदकोड- 089/524/40/2021

कुल पद-10

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :-

क्र. सं.	पद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
				WO	DFF	Ex.Ser.	ORPHAN	PH	OTHERS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (यांत्रिक) (जल विद्युत निगम विभाग)	अ0जा0	03	—	—	—	—	—	03
		अ0ज0जा0	01	—	—	—	—	—	01
		अ0पि0व0	01	—	—	—	—	—	01
		आ0क0व0	01	—	—	—	—	—	01
		सामान्य	04	01	—	—	—	—	03
		योग	10	01	—	—	—	—	09

(ii) वेतनमान:- रू0 44,900—रू0 1,42,400 (लेवल-07)

(iii) आयु सीमा:- 18 वर्ष से 42 वर्ष।

नोट:- 1- अवर अभियन्ता(प्रशिक्षु) (विद्युत) के पदों हेतु विभागीय (यूजेवीएन लिमिटेड की नियमित सेवा में कार्यरत) कर्मिकों हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है।

2- अप्रैटिस प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में प्रशिक्षण अवधि के बराबर छूट देय है।

(iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित/स्थायी।

(v) शैक्षिक अर्हता:-

(a) अनिवार्य अर्हता:-

भारत/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पोलिटेक्निक/संस्थान से अभियांत्रिकी की सम्बन्धित शाखा में इलैक्ट्रिकल/मैकेनिकल में तीन वर्षीय डिप्लोमा, सामान्य/अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 55 प्रतिशत अंकों के साथ एवं उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त अर्ह परीक्षा में केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है। विभागीय (उजविनी लिमिटेड में कार्यरत) सामान्य एवं अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को अर्ह परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।

अन्य कोई अभियांत्रिकी शाखा एवं उच्च शैक्षिक योग्यता अनुमन्य नहीं होगी।

(vi) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:-

चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की 02 घन्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

6. पदनाम—

अवर अभियन्ता

पदकोड— 082/821/40/2021

कुल पद—11

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति :-

क्र. सं.	पद का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या					
				WO	DFF	Ex.Ser.	ORPHAN	PH	OTHERS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अवर अभियन्ता (पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)	अ0जा0	03	01	—	—	—	—	02
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—
		अ0पि0व0	01	—	—	—	—	—	01
		आ0क0व0	01	—	—	—	—	—	01
		सामान्य	06	02	—	—	—	—	04
		योग	11	03	—	—	—	—	08

(ii) वेतनमान:- रू0 35,400—रू0 1,12,400 (लेवल-06)

(iii) आयु सीमा:- 21 वर्ष से 42 वर्ष।

(iv) पद का स्वरूप:- अराजपत्रित/स्थायी।

(v) शैक्षिक अर्हता:-

अनिवार्य अर्हता:-

जनस्वास्थ्य/सिविल/रसायन/पर्यावरण अभियांत्रिकी में डिप्लोमा।

(vi) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम:-

चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की 02 घन्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सम्बन्धित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

7. लिखित प्रतियोगी परीक्षा —

(i) सामान्य व ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य हैं, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जायेंगे।

(ii) लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(iii) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(iv) लिखित परीक्षा के ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक (O.M.R. Sheet) ट्रिप्लीकेट में होंगे। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की द्वितीय प्रति अलग से संरक्षित रखी जाएगी तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। ऐसा न करने पर संबंधित अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जा सकेगा। यदि परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की गई, तो अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा सामग्री ऑनलाइन माध्यम से दी जायेगी।

(v) गलत उत्तरों के लिए दण्ड— वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा:—

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा; यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जायेगा।

(घ) ओ0एम0आर0 शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना/छेड़छाड़ आदि प्रतिबंधित है और इसके लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(च) अभ्यर्थी अपनी ओ.एम.आर. शीट में गलत रोल नं0. अथवा बुकलेट सीरीज अंकित करता है या कुछ भी अंकित न करता है तो उसकी ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(छ) ऑनलाइन परीक्षाओं में यह प्रक्रिया तदनुसार होगी।

(vi) लिखित परीक्षा ऑनलाइन (CBT) होने की स्थिति में पर प्रश्न-पत्र व दिये गये उत्तर यथा प्रक्रिया अभ्यर्थी को भेजे जायेंगे।

8. अधिमान:— लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार की जायेगी। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा। अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी।

9- आयु :-

उक्त सभी पदों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2021 है। उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या: 191/XXX(2)/2021-30(10)2019 दिनांक 26 जुलाई 2021 के द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों पर चयन वर्ष 2021-2022 में अधिकतम आयु सीमा में 01 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2021 को अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के अन्तर्गत कनिष्क अभियन्ता के पदों तथा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अन्तर्गत अवर अभियन्ता हेतु अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा यूजेवीएन लिमि0 के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (जानपद), पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (जानपद) (प्रशिक्षु), यूजेवीएन लिमि0 के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (विद्युत), यूजेवीएन लिमि0 के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (यांत्रिक) के पदों हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(क)-परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या: 1399 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थियों शासनादेश सं0 1244, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा समूह-'ग' के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश सं0 1244 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। अधिसूचना संख्या: 6/1/72 कार्मिक-2 दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

10. आवेदन हेतु पात्रता:- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो,

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएँ उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

11. अनापत्ति प्रमाण-पत्र:-

जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा में हों, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12. राष्ट्रीयता :-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 ई0 से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु यह कि उपयुक्त श्रेणी की (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह है कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप-महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी:- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

13. चरित्र:-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान भी यदि अभ्यर्थी का कार्य-व्यवहार उचित नहीं पाया जाता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर उनके विरुद्ध सम्यक् कार्यवाही की जायेगी। परीक्षा की शुचिता को बाधित करने के लिए नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी आयोग द्वारा की जायेगी।

14. वैवाहिक प्रास्थिति:-

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाय ऐसा करने के विशेष कारण विद्यमान हैं।

15. शारीरिक स्वस्थता:—

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वो वित्त हस्त-पुस्तिका खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय-तीन में मूल नियम-10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार चिकित्सा परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करे।

16. आरक्षण:—

1. **ऊर्ध्व आरक्षण**— उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।
2. **क्षैतिज आरक्षण**— उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिकों, महिलाओं तथा अनाथ अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड के प्राविधानों तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियमों/शासनादेशों के अनुसार देय होगा। आवेदन पत्र के साथ आरक्षण संबंधी श्रेणी/उपश्रेणी का प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं है।
4. जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जायेगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन के समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(i) “भूतपूर्व सैनिक” से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो—(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टैरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं— (एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले। (चार) जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जायेगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक

का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नोट:- 1- भारत सरकार के O.M. N0. 36034/6/90-Estt.(SCT) दिनांक 02 अप्रैल 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि "the ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs."

2- भारत सरकार के Notification N0. 36034/5/85-Estt.(SCT) दिनांक 27 अक्टूबर, 1986 के अनुसार उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण होने से पूर्व किन्तु 01 वर्ष के अन्तर्गत आवेदन करने की दशा में उन्हें भूतपूर्व सैनिक हेतु निर्धारित आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

3- भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(ii) "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित" से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री)(विवाहित या अविवाहित) (तीन) पुत्री के पुत्र/पुत्री से है।

नोट:-

1. शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04%, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 10% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य है। विज्ञप्ति में नियोक्ता विभाग से रोस्टर के अनुरूप प्राप्त आरक्षण दिया गया है।
2. शासनादेशों के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, दिव्यांगजनों के लिए 04% तथा अनाथ बच्चों/प्रभावित बच्चों हेतु 05% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।
3. यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।
4. आरक्षण का लाभ संबंधित आरक्षण श्रेणी का वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा।

17. ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया:-

1. आवेदकों द्वारा UKSSSC की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन का कोई अन्य साधन/मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. आवेदकों को पहले UKSSSC की वेबसाइट पर जाना होगा और "OTR" लिंक पर क्लिक कर अपना One Time Registration Profile बनाना अनिवार्य होगा।
3. उम्मीदवारों को यूजर नेम बनाने के लिए वैध ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है।
4. उम्मीदवार को OTR प्रोफाइल में दी गई सभी सूचनाओं को ध्यान से भरना होगा और इसे सेव करना होगा।
5. उम्मीदवार को हाल की तस्वीर और हस्ताक्षर की इमेज को स्कैन कर अपलोड करना होगा。
 - फोटो का साइज (पासपोर्ट साइज) (अधिकतम 50 केबी)
 - स्कैन की हुई हस्ताक्षर का साइज (अधिकतम 50 केबी)
 - बाँये अंगूठे का निशान (अधिकतम 50 केबी)
6. यूजर नेम के साथ लॉगिन होने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन लिंक के तहत सक्रिय विज्ञापन देख सकते हैं। "आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें" लिंक सक्रिय विज्ञापनों के साथ उपलब्ध है।
7. "आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें" लिंक पर क्लिक करने पर OTR उम्मीदवार की योग्यता विज्ञापन में लिखित आवश्यक पात्रता मानदंडों से मिलान करता है। यदि उम्मीदवार पात्रता को पूरा नहीं करता है तो अयोग्यता का उचित संदेश सिस्टम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे में यदि अभ्यर्थी योग्यता धारित करते हैं तो उन्हें पहले OTR को संशोधित करना होगा।
8. केवल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार का आवेदन ही सिस्टम द्वारा स्वीकार किए जाएंगे।
9. उम्मीदवार आवेदन Submit होने के बाद अपने आवेदन में बदलाव नहीं कर सकते।

18. शुल्क:-

कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 332/XXX(2)/2021/55(35)/2003 दिनांक 03 अक्टूबर, 2021 द्वारा 31.03.2022 तक सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु जारी विज्ञापनों के सापेक्ष अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क न लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

19 . आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तों को पढ़ें:-

(1) OTR तथा आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी, पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, सेवायोजन पंजीकरण की वैधता, आरक्षण की श्रेणियां व उपश्रेणियां आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही OTR तथा आवेदन पत्र भरें, क्योंकि आनलाईन फार्म में बिना प्रमाण-पत्रों/संलग्नकों के सन्निरीक्षा की जानी संभव नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अन्तिम चयन के बाद भी अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। यदि आवेदन में कोई त्रुटि है तो OTR में Edit विकल्प लें। आवेदन पत्र भरने के बाद Final Submit बटन क्लिक करने से पूर्व

अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई प्रविष्टि को संशोधित कर सकते हैं। एक बार Final Submit हो जाने के उपरांत इस आवेदन-पत्र के लिए OTR या आवेदन पत्र में कोई संशोधन संभव नहीं है। आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के लिए आवेदक जिम्मेदार है तथा आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरे जाने के बाद इसमें संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा। OTR में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर को यदि अभ्यर्थी द्वारा गलत भरा जाता है, तो अभ्यर्थी द्वारा “MY REQUEST” Button को Click कर संशोधन हेतु request भेजी जा सकती है, जिसे आयोग स्तर से Approve किया जायेगा व इस प्रक्रिया से अभ्यर्थी की details स्वयं update हो जायेंगी।

(2) अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन OTR तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में, रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्या:-79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस)19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना आवश्यक है। वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी आरक्षण अनुमन्य किया गया है। इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन की अंतिम तिथि तक संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें।

(3) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य वांछित समस्त अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को “ONLINE APPLICATION” प्रक्रिया में “Submit” बटन को “Click” करना अनिवार्य है।

(4) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र तथा अन्य अभिलेखों की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। यदि अपने अभ्यर्थन या अन्य मामलों में अभ्यर्थी कोई आपत्ति प्रस्तुत करें, तो आवेदन पत्र आदि अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

(5) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा OTR तथा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनकी वैध प्रमाण-पत्रों के आधार पर पुष्टि न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित किया जा सकता है, साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है।

(6) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः

अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि अभिलेख सत्यापन के चरण तक किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अंतिम रूप से चयनित हो जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(7) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र या अन्य किसी बिन्दु पर किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(8) ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरणों/प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(9) अभ्यर्थी अपने OTR प्रोफाइल कभी भी भर सकते हैं। एक बार OTR प्रोफाइल भरने के बाद प्रत्येक आवेदन-पत्र में उनका यह डेटा स्वतः आ जायेगा तथा उन्हें बार-बार विस्तृत आवेदन-पत्र नहीं भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पर्याप्त समय पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। आवेदन के समय के अंतिम दिनों में इससे वेबसाइट पर अतिरिक्त भार आता है व इससे अभ्यर्थी भी आवेदन पत्र भरने से वंचित हो सकते हैं।

(10) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद की संगत सेवानियमावली एवं अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णय इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(11) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी की शैक्षिक व अन्य अनिवार्य अर्हताओं को सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप ही देखा जायेगा, नियमावली से अलग अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(12) OTR में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुरूप अंकित करने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना अलग मोबाइल नम्बर व ई-मेल भी देना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी के पास अपना स्वयं का मोबाइल नहीं है तो वे अपने परिवार के सदस्यों के मोबाइल नम्बर अंकित करें जो आयोग से प्राप्त होने वाले संदेश व अन्य

जानकारियां तुरंत प्राप्त करने में सुगम रहे। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(13) लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों को आयोग वेबसाइट पर तथा प्रेस नोट आदि के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

(14) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी/कुंजियों को परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रसारित किये जाने के पश्चात निर्धारित समय के भीतर प्रश्नपत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन/आपत्ति ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑफलाइन या निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। जिन प्रश्नों पर कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, उन्हें सही प्रश्नोत्तर मानते हुये परिणाम जारी किया जायेगा।

(15) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पेन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पेन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षा जांच के दौरान दिये जा रहे सभी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

(16) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित:— परीक्षा कक्ष में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(17) परीक्षा भवन में आचरण:— कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें, अव्यवस्था ना फैलाएं तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान ना करें। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त उत्तर पुस्तिका (OMR) की मूल व द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जाएं। यदि अभ्यर्थी मूल या द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को न देकर स्वयं ले जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जा सकेगा।



(18) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' मूल रूप में तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(19) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:-

(क) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए। परीक्षा कक्ष में प्रतिबंधित सामग्री ले जाने, अनुचित साधनों के प्रयोग करने, अनुचित आचरण करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करने के साथ ही उन्हें आयोग की परीक्षाओं के लिए प्रतिबन्धित करने व उनके विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही भी की जायगी। परीक्षा के उपरांत चयन के अन्य चरणों में भी अभ्यर्थियों द्वारा की गई अनुशासनहीनता उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने हेतु आधार बनेंगी।

(ख) अभ्यर्थियों से ऐसे आचरण की अपेक्षा की जाती है, जो सार्वजनिक सेवा में पात्रता के अनुकूल हो, क्योंकि चयनित होने के उपरांत उन्हें सरकारी सेवक के रूप में लोक सेवा के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। कतिपय मामलों में यह संज्ञान में आया है कि अभ्यर्थियों द्वारा गलत मंशा से आयोग या राज्य सरकार की छवि खराब की जा रही है। पूरी चयन प्रक्रिया के दौरान यदि किसी अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों का आचरण एक सीमा से अधिक अशोभनीय पाया जाता है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है व उन्हें आयोग की भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से भी प्रतिवारित किया जा सकता है।

(20) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति की संस्तुति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि आयोग को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आयोग द्वारा की गयी संस्तुति से अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।

(21) परीक्षा केन्द्रों के लिए यद्यपि अभ्यर्थी से प्राथमिकता ली जाती है, तथापि परीक्षा की गोपनीयता/शुचिता के दृष्टिगत या अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अतः परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु आयोग का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।



(22). अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in का समय-समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

(23) विज्ञापन की आरक्षण तालिका में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दों को निम्नानुसार पढ़ा जाय—

आ0क0व0— आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

Wo- महिला अभ्यर्थी

DFP- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित

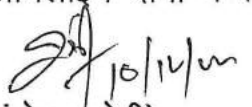
Ex- भूतपूर्व सैनिक

PH- दिव्यांग

Orphan- अनाथ बच्चे

(24) इस विज्ञप्ति द्वारा प्रारम्भ की गई चयन प्रक्रिया में पदों की संख्या आवश्यकता के अनुरूप घटाई या बढ़ाई जा सकती है। परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा में अभ्यर्थन से संबंधित अन्य शर्तें व पात्रतायें स्पष्ट हैं। इन्हें भलीभाँति देखकर आवेदन करें। आवेदन-पत्र भर जाने का अर्थ है कि अभ्यर्थी इन सभी बातों को स्वीकार करता है। इसके बाद चयन प्रक्रिया के अगले चरणों में इन शर्तों, पात्रताओं व पाठ्यक्रम आदि पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी तथा इसे चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला समझा जायेगा।

(25) आयोग द्वारा अब ऑफलाइन परीक्षा के साथ-साथ ऑनलाइन (Computer based test) परीक्षाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। अतः यह परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी एक प्रक्रिया से सम्पन्न कराई जा सकती है।


(संतोष बडोनी),
सचिव।